

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नया अहक हुक्म में</p>
------------------------	---	--------------------------------------

1-1-21

पत्रावली काज पेश हुई।
 अपीलकर्ता द्वारा यह अपील अर्जेंट था।
 19(1) RTI Act 2002 के तहत पेश की गई है तथा
 इसके द्वारा कोबिल सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाते
 पर तह सीएम के विरुद्ध पेश की गई है तहप्याली
 को लिखा जाते या अग्रस्त कराया कि अपीलकर्ता
 को निर्धारित शुल्क जमा कराते एवं तहप्याली सूचना
 की प्रतियां प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। जो
 उनके पत्रांक 252 एवं 308 के द्वारा लिखा गया था
 लेकिन उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई तथा इस
 न्यायालय द्वारा अरिस्टेबिलिटी के फांटेडिड सिस्टिम
 पर अपील पर ररवते हेतु भी उपर नहीं हुए है।
 इस लिए यह माना जाता है कि इस कोर में
 उन्हें कुछ भी नहीं कहना है। एवं उन्हें सूचना की
 आवश्यकता नहीं है। इस वजह से निर्धारित शुल्क
 जमा करा का प्राप्त नहीं की जा रही है। एसी स्थिति
 में इस अपील के संदर्भ में ~~को~~ किसी प्रकार की
 कार्यवाही आवश्यक नहीं रह जाते से यह अपील
 इसी स्तर पर ररवती की जाती है।
 पत्रावली शुका फोरम की
 जाका इस न्यायालय से नम्बर से कहेंगे।

A
 जिला कलेक्टर, पाली

